

न्यायालय न्यायनियर्णन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुन्डुनू

पीठासीन अधिकारी

जगदीश प्रसाद गौड़

मुकदमा नम्बर : 12/2023

आर.ए.एस

महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला झुन्डुनू।  
बनाम

श्री मयंक गुप्ता पुत्र श्री रमेश कुमार गुप्ता, मै0 मयंक एन्टरप्राइजेज, मैन मार्केट,  
कल्याण जी मन्दिर के पास, चिड़ावा, झुन्डुनू।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए एक्ट 2006 व सपठित धारा नियम 2011

—निर्णय—

दिनांक : 24.01.2023

पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

अनावेदक/अभियुक्त संख्या 1 का कथन है कि उसकी मैन मार्केट, कल्याण जी मन्दिर के पास, चिड़ावा झुन्डुनू में मै0 मयंक एन्टरप्राइजेज के नाम दुकान है। जहां वह किराणा तथा खाद्य सामग्री आदि का बेचान करता है। उसकी दुकान से मिर्च पाउडर (पौलीपैक) का सैम्पल लिया गया था जो कि मिसब्रान्डेड पाया गया है। अनावेदक ने लिखित प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अब उसने खुली मिर्च का बेचान बन्द कर दिया है अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./3471/एक्ट/2022/3538 दिनांक 19.12.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (पौलीपैक) मिस ब्राडेन्ड (Misbranded) पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस. ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अनावेदक अपनी दुकान मै0 मयंक एन्टरप्राइजेज में स्वयं मिर्च पाउडर (पौलीपैक) पैकिंग कर बेचान करता है तथा स्वयं दुकान मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (पौलीपैक) मिस ब्राडेन्ड (Misbranded) पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री मयंक गुप्ता पुत्र श्री रमेश कुमार गुप्ता, मै0 मयंक एन्टरप्राइजेज, मैन मार्केट, कल्याण जी मन्दिर के पास, चिड़ावा, झुन्डुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में 15,000/- पन्द्रह हजार रुपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त



5/1/23  
अति. जिला कलेक्टर  
झुन्डुनू

बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ़तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
झुंझुनू